न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

पील संख्याः– 02 / 2020 (223 आर.टी.एक्ट)
ी.सी.एम.एस .संख्याः– 2020 / 00005

उनवान

पील हुल्लो पत्नी कन्हैया जाति माली (मृतक)
1/1. गिर्राज पुत्र कन्हैया माली
1/2. भरती पुत्र कन्हैया माली
1/3. हरि पुत्र कन्हैया माली
1/4. रामचरण पुत्र कन्हैया माली
1/5. खिलाड़ी पुत्र कन्हैया माली
2. रामजीलाल पुत्र धन्या जाति माली निवासी अमरगढ चौकी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांटस्।

बनाम

1. गिर्राज पुत्र गुलाब जाति माली निवासी अमरगढ चौकी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील गंगापुर सिटी।

....रेस्पांडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–15.03.2020

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 14 / 2012 बउनवान गिर्राज बनाम रामजीलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत के समक्ष एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम अमरगढ तहत तहसील गंगापुर सिटी में अराजी खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नंबर 144 रकबा 6 बीघा का आवंटन रामदयाल पुत्र नारायणलाल नाई साकिन गंगापुर सिटी को दिनांक 13.06.1975 को किया गया है, जिसका नामान्तकरण संख्या 97 उक्त रामदयाल के नाम दिनांक 02.11.75 को तस्दीक हो चुका है। भूमि की खातेदारी हो जाने के उपरान्त उक्त भूमि को उक्त व्यक्ति ने उक्त खसरा नंबर को वादी को दिनांक 22.02.83 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वय कर दी। मौके पर कब्ज संपला किया। उक्त भूमि के हाल बंदोबस्त मे नवीन खसरा नंबर 216 रकबा 97 एयर, ही वादी की खातेदारी में दर्ज होकर आया है। शेष 53 एयर भूमि का इन्द्राज गलत रूप से खिलाफ कानून व कायदा प्रतिवादी नंबर 01 के खाते में हाल खसरा नंबर 197 रकबा 56 एयर मे 35 ऐयर तथा 215/1124 रकबा 17 एयर मे दर्ज कर दिया है। जबकि खसरा नंबर 197 रकबा 35 एयर तथा खसरा नंबर 217/1124 रकबा 17 एयर पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। बंदोबस्त विभाग को वादी की खातेदारी के रकबे को कम करने का व प्रतिवादी के खाते मे दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मातहत अदालत से अनुतोष चाहा कि ग्राम अमरगढ मे स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1209/197 रकबा 0.52 है0 मे से 0.35 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से हजफ कर वादी के नाम दर्ज किया जावें, तथा भूमि हाल खसरा नंबर 215/1124 रकबा 0.17 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से हजफ कर वादी के नाम दर्ज की जावें। प्रतिवादीग संख्या 01 द्वारा इसके जवाब मे 02.07.2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। मातहत अदालत ने दिनांक 19.06.2018 को निर्णय व डिक्री जारी करते हुए वादी का वादपत्र स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय व डिक्री से आहत होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने जो निर्णय पारित किया है उसमें पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्षी की कोई विवेचना नहीं की क्योंकि यह बात सुस्पष्ट थी कि अपीलांट संख्या 01 ने अपीलांटस् संख्या 02 से आराजी खसरा नंबर 197 रकबा 56 एयर मे से 52 एयर भूमि को 70000/– रूपये मे दिनांक 2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी तब से लेकर वर्तमान समय तक अपीलांटस् संख्या 01 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और जब तक विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नही हो जाता तब तक उसके खाते की भूमि को सरसरी तौर पर दूसरे के खाते मे दर्ज नही किया जा सकता। टीनेन्सी एक्ट मे दान, बेचान के द्वारा ही हस्तान्तरण कर दुरूस्ती की जा सकती है जबकि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय जरिये राजीनामा विधि विरूद्व तरीके से वाद पत्र डिक्री किया है। राजीनामा प्रस्तुत करना पक्षकारो का अधिकार है, लेकिन राजीनामें के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जाना विधि के प्रतिकूल है इस बात को नजरअन्दाज करते हुए न्यायिक विवेक के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। अपील मीमों के साथ ही धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन निर्णय बाबत् तहत न्यायालय में प्र कहा कि तुम्हारे प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है दिनांक 17.11.19 को जब अपीलांट हट्टों देवी हल्का पटवारी के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जमीन नाम कर दी है इस दिनांक 18.11.19 को तहत न्यायालय में जाकर नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 21.11.19 को नकल निर्णय व डिक्री प्राप्त कर यह अपील पेश की गई है। अपीलांट हट्टों निरक्षर बुजुर्ग महिला है तथा रामजीलाल भी सिर्फ स्वयं के हस्ताक्षर ही कर पाता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश शून्य आदेश की श्रेणी में आता है इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाया जा सकता है। अतः अपील पेश करने मे हुई देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील पेश करने की अनुमति दी जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।
5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।
7. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि प्रस्तुत जवाब दावे से यह तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि वादी ने अपनी भूमि मे से कुछ भूमि रामरूप व हरफूल को बेचान कर दी दावे में उनको पक्षकार नही बनाया गया है जबकि तहत न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री के मद नंबर 05 में उनके नाम खातेदारी में दर्ज बाबत् अपना मत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पारित किया है। आगे उल्लेख किया कि तहत न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर नही किया कि वादी गिर्राज ने खातेदार रामदयाल से भूमि क्रय की है लेकिन उसने विवादित जमीन कितने रूपये में कौन–कौन से खसरा नंबर की भूमि खरीदी है इसके अलावा जब वादी ने नवीन खसरा नंबर की भूमि खरीदी है इसके अलावा जब वादी ने नवीन खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की भूमि खरीदी है तो साबिक खसरा नंबर की खातेदारी वादी की नाम कभी भी नही नही है इस प्रकार वादी को दावा लाने का ही अधिकार नही था। इस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

8. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया।

9. पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत 2070–2073 ग्राम मालियों की चौकी तहसील गंगापुर के अनुसार खसरा नंबर 197 रकबा 0.04 है0 तथा खसरा नंबर 215/1124 रकबा 0.17 है0 रामजीलाल पुत्र धन्ना जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

प्रथमः–जमाबंदी संवत् 2054–2057 वाके ग्राम अमरगढ पटवार हल्का नौगांव तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 197 रकबा 0.56 है0 तथा खसरा नंबर 215/1124 रकबा 0.17 है0 रामजीलाल पुत्र धन्या जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट संख्या 01 हट्टों ने अपीलांट्स् संख्या 02 रामजीलाल से आराजी खसरा नंबर 197 रकबा 0.56 है0 मे से 0.52 है0 भूमि को सन् 2004 मे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। उक्त आराजीयात संवत् 2066 मे अपीलांट संख्या 01 हट्टो के नाम खसरा नंबर 1209/197 रकबा 0.52 है0 से दर्ज हुइ। इसके अतिरिक्त जमाबंदी संवत् 2070 वाके ग्राम मालियों की चौकी पटवार हल्का अमरगढ तहसील तलावाडा के अनुसार खसरा नंबर 1318/1209 रकबा 0.32 है0 व खसरा नंबर 197 रकबा 0.04 है0 दर्ज रिकार्ड है। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय की बिंदु संख्या 01 व 05 मे रामरूप, हरफूल व गिर्राज को आराजी खसरा नंबर 1209/197 रकबा 0.52 है0 मे से क्रमशः 0.12 है0 व 0.08 है0 की खातेदारी बेना विक्रय पत्र को निरस्त करवाये व केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए गए।

अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ मे राजीनामा के आधार पर "कब्जा" को आधार मानते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन किया है, जो विधि विपरीत है। राजस्व काश्तकारी अधिनियम धारा 88 के तहत केवल खातेदारी अधिकार उत्तराधिकार, विक्रय पत्र एवं धारा 15 व 15 के आधार पर ही प्राप्त हो सकते है, अन्यथा नही। सहमति कब्जे के आधार पर एक खातेदार की खातेदारी अधिकार कम करना व दूसरे का इस आधार पर खातेदारी की घोषणा करना विधि विरूद्व है।

द्वितीयः– अदालत मातहत द्वारा रामफूल व हरफूल को खातेदारी अधिकार की घोषणा की गई है परन्तु उक्त दोनो दावे मे पक्षकार ही नही है। अदालत मातहत द्वारा बिना पक्षकार बनाये ही जो निर्णय पारित किया है वह इस कारण से रेस्पोडेन्टगण/वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र **"मिस जोईन्डर ऑफ पार्टीज"** की कमी होने से भी वाद पत्र खारिज योग्य है।

तृतीयः– अदालत मातहत द्वारा दावा व जवाब दावे के आधार दिनांक 25.03.2003 को तनकीयात कायम की गई परन्तु निर्णय मे तनकीयात को अनदेखा कर केवल कब्जे के आधार पर निर्णय पारित किया जो अपास्त योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 14/2012 बउनवान गिर्राज बनाम रामजीलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.06.2018 को अपास्त किया जाता है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मे दायर वाद पत्र संख्या 14/2012 **"मिस जोईन्डर ऑफ पार्टीज"** के आधार पर खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 15.06..2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–**बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर**

उनवान

1. हट्टो पत्नी कन्हैया जाति माली (मृतक)
   1/1. गिर्राज पुत्र कन्हैया माली
   1/2. भरती पुत्र कन्हैया माली
   1/3. हरि पुत्र कन्हैया माली
   1/4. रामचरण पुत्र कन्हैया माली
   1/5. खिलाड़ी पुत्र कन्हैया माली
2. रामजीलाल पुत्र धन्या जाति माली निवासी अमरगढ चौकी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांटस्।

बनाम

1. गिर्राज पुत्र गुलाब जाति माली निवासी अमरगढ चौकी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील गंगापुर सिटी।

....रेस्पोडेन्टस्।

अपील संख्या :02/2020
जी.सी.एम.एस संख्या :2020/00005
अपील विरूद्व आज्ञा: उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी

(धारा 223 आर.टी.एक्ट)
दिनांक 15.06.2023

यह अपील व तारीख 15.06..2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 14/201. बउनवान गिर्राज बनाम रामजी लाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2018 को अपास्त किया जाता है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मे दायर वाद पत्र संख्या 14/2012 **"मिस जोईन्डर ऑफ पार्टीज"** के आधार पर खारिज किया जाता है।

मुहर

हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner